**संख्या-03/2022/2491/22-2-2021-17(400)/2021**

प्रेषक,

करूणेश कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

***कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2*** ***लखनऊ: दिनांक 26 अप्रैल 2022***

विषय:- जिला कारागार, महराजगंज में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी जवाहर उर्फ बाबूराम पुत्र स्व0 लालमन चौधरी, निवासी जनपद-महराजगंज की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-34293/प्रोबे0-5-दया0 बैठक 09.09.2021, दिनांक 27.10.2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, महराजगंज में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी जवाहर उर्फ बाबूराम पुत्र स्व0 लालमन चौधरी, हरकी टोला निपनिया, थाना-घुघुली, जनपद-महराजगंज का निवासी है। पारिवारिक जमीन के मुकदमेंबाजी की रंजिश को लेकर दिनांक 01.09.2004 को गोली मारकर अपने पिता लालमन की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-158 व 159/2004 में भा0द0वि0 की धारा-302 व 25/27 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक)(कोर्ट सं0-3), महराजगंज के आदेश दिनांक 17.07.2009 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 17.01.2020 द्वारा यथावत रखा गया है। बन्दी द्वारा दिनांक 25.07.2021 तक 16 वर्ष 10 माह 14 दिन की अपरिहार सजा तथा 20 वर्ष 09 माह 25 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधीक्षक, महराजगंज द्वारा बन्दी के रिहा होने पर भविष्य में अपराध किये जाने, जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। दयायाचिका समिति ने बन्दी की आयु 48 वर्ष होने तथा जिला मजिस्ट्रेट/पुलिस अधीक्षक, महराजगंज द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति न किये जाने के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अत: उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है जिला कारागार, महराजगंज में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी जवाहर उर्फ बाबूराम (बंदी संख्या-59/2009) पुत्र स्व0 लालमन चौधरी, निवासी जनपद-महराजगंज की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

**संख्या-03/2022/2491(1)/22-2-2021 तद्दिनांक**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, महराजगंज।
2- अधीक्षक, जिला कारागार, महराजगंज।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री (स्वतन्त्र प्रभार), कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ ।
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

कृष्ण कुमार सिंह
उप सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in